


दिनांक 06.06.2022 को फोलाअप केम्प राणीगांव में वकील अप्रार्थीगण उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिसकी सुनवाई दिनांक 24.06.2022 को है जिस पर प्रार्थीगण के खेत की नेखमबन्दी पर अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तथा अप्रार्थीगण की भूमि पूर्ण कर प्रार्थीगण की नेखमबन्दी की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है। पत्रावली दिनांक 07.06.2022 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी बाडमेर


आदेश


पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 380 रकबा 86.05 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि में अप्रार्थीगण ने न तो प्रवेश किया है और न ही अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। प्रार्थीगण की भूमि की नेखमबन्दी अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तथा अप्रार्थीगण की भूमि पूर्ण कर की जाती है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण अपनी भूमि की नेखमबन्दी करना चाहते हैं तो पृथक से आवेदन पेश कर करवा सकते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 380 रकबा 86.05 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर


उपखण्ड अधिकारी बाडमेर

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 247/2021 अनवान रावतसिंह बनाम आईदानसिंह</p>	<p>नम्बर व तारीखअहकाम इस हुकम की तामील जारी हुए</p>
	<p>नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फौसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बाडमेर </p>	